

समाहरणालय, बक्सर
(जिला पंचायत शाखा)

Phone:- 06183-222336(O), 222335(R)
Fax:- 06183-226935(O), 222331(R)
E-mail ID:- dm-buxar.bih@nic.in
E-mail ID:- dpro-bu-bih@nic.in

आदेश

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार पत्रांक 3302, दिनांक 14.06.2018 में निहित निदेशानुरूप बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अन्तर्गत जिला स्तर पर संधारित पैनल से प्रत्येक प्रखण्ड में प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय हेतु एक-एक कार्यपालक सहायक का नियोजन जिला पदाधिकारी, बक्सर के आदेश संख्या 62/2018-19, संसूचित ज्ञापांक 01-1078/स्था0, दिनांक 11.07.2018 द्वारा नियोजित करते हुए प्रखण्डों में पदस्थापन हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में नियोजित कार्यपालक सहायकों को प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में योगदान करने हेतु निम्न रूप से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	गृह प्रखंड	पदस्थापित प्रखण्ड का नाम	पदस्थापित पंचायत/प्रखण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री रौनित कुमार शर्मा	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा	ग्राम-सोहनी पट्टी, बक्सर पो०+ थाना+जिला-बक्सर, पिन -802101 मो०नं० 8539038309	बक्सर	केसठ	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय, केसठ
2	सुश्री पूनम कुमारी	श्री शिवभगत सिंह	ग्राम-चीनी मिल बक्सर, पोस्ट-गजाधरगंज, थाना-बक्सर, अंचल-बक्सर, जिला-बक्सर, पिन 802101 मो०नं० 7542004036, 8210226211	बक्सर	बक्सर	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय, बक्सर

शर्तें :-

- कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर बिना सूचना के संविदा समाप्त कर दी जायेगी।
- नियोजित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 11345/- (ग्यारह हजार तीन सौ पैंतालिस) रुपये देय होगा।
- नियोजित अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर सामग्री हेतु कोई अलग से मानदेय देय नहीं होगा।
- नियोजित अभ्यर्थियों को अपने साथ निम्नांकित कम्प्यूटर सामग्री लाना आवश्यक होगा।

(क) एक डेस्कटॉप/लैपटॉप


(ख) एक प्रिंटर (ब्लैक एण्ड व्हाइट)।

(ग) एक यू०पी०एस०।

(घ) इन्टरनेट कनेक्शन।


5. नियोजित कार्यपालक सहायकों (Executive Assistant) के मानदेय का भुगतान जिला पंचायत कार्यालय में योगदान की तिथि से की जायेगी।
6. नियोजित कार्यपालक सहायकों (Executive Assistant) के मानदेय का भुगतान संबंधित प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर जिला पंचायत कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
7. नियोजित अभ्यर्थी के द्वारा नियमित नियुक्ति का दावा नहीं किया जायेगा।
8. प्रशासनिक दृष्टिकोण/कार्यहित में नियोजित कार्यपालक सहायकों का स्थानान्तरण किया जा सकता है।
9. बिना युक्तियुक्त कारण/सूचना के 15 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर बिना कारण पृच्छा प्राप्त किये उन्हें नियोजन मुक्त किया जा सकता है।

नियोजित अभ्यर्थी आवंटित प्रखण्ड में दो दिनों के अंदर अपना योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।


 जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
 बक्सर।

ज्ञापांक 16-0993 / पं०, बक्सर, दिनांक 13 / 10 / 2018

- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ समर्पित।
-
- प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, बक्सर, बक्सर को सूचनार्थ समर्पित।
-
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरौव को सूचनार्थ प्रेषित।
-
- प्रतिलिपि :- वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरौव/ सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, जिला-बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।
-
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला-बक्सर को निदेश दिया जाता है कि विभाग से समय-समय से प्राप्त निदेश के आलोक में कम्प्यूटर में सभी प्रविष्टि ससमय दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक माह के 25 वी तारीख को निश्चितरूप से अपने प्रखण्ड के पंचायतो में पदस्थापित सभी कार्यपालक सहायको की अनुपस्थिति विवरणी तथा सभी कार्यपालक सहायको से बैंक खाता विवरणी प्राप्त कर जिला पंचायत कार्यालय, बक्सर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
-
- प्रतिलिपि :- आईटी मैनेजर, बक्सर को निदेश दिया जाता है कि संबंधित कार्यपालक सहायको को उक्त आशय की सूचना ई-मेल/एस0एम0एस0 के माध्यम से भेजना एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
-
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कार्यपालक सहायको को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
-


 12-10-18
 जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
 बक्सर।